स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:–ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: पटना, दिनांक फरवरी, 2019 ई0।

प्रेषक

संजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

अध्यक्ष / सचिव
दल का नाम –

पता–

(सभी अमान्यताप्राप्त किन्तु रजिस्ट्रीकृत दल जिनका कार्यालय बिहार राज्य में स्थित है)।

विषय:– **दल संबंधी निधियों तथा निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखाकंन पर दिशा–निर्देश–अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण के संबंध में।**

प्रसंग:– **(1) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76 / पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014.**
(2) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76 / पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76 / पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014, जो आयोग से सीधे सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष / महासचिव को सम्बोधित है, द्वारा निधियों एवं निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखांकण पर दिशा–निर्देश दिये गये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना सं0–56/2018/PPS-III दिनांक 13.04.2018 के क्रमांक .... पर रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल (अमान्यताप्राप्त) के रूप में अंकित है। उक्त अधिसूचना में अंकित पता बिहार राज्य में अवस्थित है।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76 / पीपीईएमएस / पारदर्शिता / 2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा निदेशित किया गया है कि अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल को निम्नलिखित रिपोर्ट उस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे, जिस राज्य में पार्टी मुख्यालय का कार्यालय अवस्थित है–

(क) फार्म 24 में अंशदान रिपोर्ट
(ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे
(ग) निर्वाचन व्यय विवरण

राजनैतिक दलों द्वारा उक्त रिपोर्टों / विवरणों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार होगी:–

1. अंशदान रिपोर्ट–आयकर विवरणी भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर या केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर द्वारा आगे बढ़ाई गई ऐसी कोई तारीख
2. वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे–प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर
3. निर्वाचन व्यय का विवरण–विधान सभा निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिनों के अन्दर और लोक सभा निर्वाचन की समाप्ति के 90 दिनों के अन्दर

उक्त पत्र की कंडिका–3(iv) में अंकित है कि रिपोर्टों / विवरणीयों को जमा कराने में हुई चूक संबंधी मामले में संबंधित राजनैतिक दलों को इस संबंध में पत्र लिखकर संबंधित चूक को उनके ध्यान में लाना चाहिए और इस पत्र को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट पर डाला जाना चाहिए।

आपके स्तर से वर्ष 2018 का प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय जमा नहीं किया गया है। फलस्वरूप उक्त पत्र नोटिस के रूप में निर्गत है और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट http://ceobihar.nic.in पर यथास्थान संधारित है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश के आलोक में अविलम्ब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में उक्त संबंधित प्रतिवेदन जमा अविलम्ब जमा कराने की कृपा की जाये।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

O/C

विश्वासभाजन,
2/2/19
(संजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

"मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी"